संख्या:51 /2022/1735 ई-2/तेरह-2022/1664373

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 14 अक्टूबर,2022

विषय:- मेसर्स मौज सर्विस एलएलपी, पंजीकृत कार्यालय यूजी-1, 5/613 सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद उ.प्र. 201010 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''डियरी'' शाप नं. बी-2, प्रथम तल, गार्डन गलेरिया मॉल प्लाट नं. ए-2 सेक्टर-38 ए, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी.-233/दो-प्रा.एम.बी.(17)/लघु यवासवनी, दिनांक 10-10-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10-10-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मौज सर्विस एलएलपी, पंजीकृत कार्यालय यूजी-1, 5/613 सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद उ.प्र. 201010 द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''डियरी'' शाप नं. बी-2, प्रथम तल, गार्डन गलेरिया मॉल प्लाट नं. ए-2 सेक्टर-38 ए, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को 114 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 39,900 लीटर ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी स्थापना के लिये एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन किया जायेगा:-

(क) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट आर्डर क्रमश: दिनांक 01-02-2021 एवं 28-01-2021 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(ग) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुज्ञापन संख्या-12722055000271 दिनांक 28-03-2022 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) इकाई द्वारा माइक्रो ब्रिवरी चलाये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा भूमि के स्वामित्व संबंधी जॉच कराया जाना भी आवश्यक होगा।

(ङ) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।